रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2006/ज्येष्ठ 5, 1928
No. 541] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2006/JYAISTHA 5, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. 53/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 810(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोड एतद्द्वारा अपर महानिदेशक, दिल्ली जोनल यूनिट, बी-4, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली द्वारा फा.सं.डी आर आई/23/5/2005/डी जेड यू, दिनांक 29 नवम्बर, 2005 के तहत मैसर्स बाबा लेदर इम्पेक्स प्रा. लि.और अन्य को जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के संबंध में न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (न्याय निर्णयन) न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली को

(i) आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा ;
(ii) आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई ;
(iii) आयुक्त, सीमा शुल्क (आई सी डी), तुगलकाबाद, नई दिल्ली ;
(iv) आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात एवं सामान्य), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली ;
(v) आयुक्त, सीमा शुल्क (सी एफ एस मुलुड एवं सामान्य), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई ;
(vi) आयुक्त, सीमा शुल्क (समुद्री पत्तन), कस्टम हाउस, कोलकाता ;
(vii) आयुक्त, सीमा शुल्क (हवाई कार्गो), कोलकाता ;
(viii) आयुक्त, सीमा शुल्क कस्टम हाउस, कोचीन ; और
(ix) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नोएडा के पद पर नियुक्त करते हैं और उस पद के लिए प्रदान की गई अथवा सौंपी शक्तियों के प्रयोग करने और डयूटियों के निष्पादन के लिए उन्हें प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. 437/2/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2006

No. 53/2006–CUSTOMS (N.T.)

S.O. 810(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-rule (1) of rule 3 of Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Central Excise (Adjudication), New Customs House, New Delhi, and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on the -

(i) Commissioner of Customs (Import), Nhava Sheva;
(il) Commissioner of Customs (Import), New Custom House, Mumbai;
(iii) Commissioner of Customs (ICD), Tughlakabad, New Delhi;
(iv) Commissioner of Customs (Import & General), New Custom House, New Delhi;
(v) Commissioner of Customs (CFS Mulund & General), New Custom House, Mumbai;
(vi) Commissioner of Customs (Sea Port), Custom House, Kolkata;
(vii) Commissioner of Customs (Air Cargo), Kolkata;
(viii) Commissioner of Customs, Custom House, Cochin; and
(ix) Commissioner of Central Excise, NOIDA.

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s Baba Leather Impex Pvt Ltd and others issued, vide, F.No. DRI/23/5/2005/DZU, dated 29th November, 2005 by the Additional Director General, Delhi Zonal Unit, B-4, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi.

[F. No. 437/2/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. 54/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 811(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, बी-4,6ठा तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली द्वारा फा.सं.डी आर आई/23/13/2005/डी जेड यू, दिनांक 28

जून, 2005 के तहत जारी मैसर्स माइक्रोट्रेक बिजनस सिस्टम्स प्रा.लि.,1, राडोन स्ट्रीट, शुभम , कमरा सं. 505, 5वाँ तल, कोलकाता और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा को आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), एयरकार्गो, मुंबई के रुप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/3/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2006

No. 54/2006–CUSTOMS (N.T.)

S.O. 811(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs(Import), Nhava Sheva to act as Commissioner of Customs(Import), Air Cargo, Mumbai for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Microtrack Business Systems Pvt Ltd, 1, Rawdon Street, Shubham, Room No.505, 5th floor, Kolkata and Others, issued vide F.No.DRI /23/13/2005/DZU, dated the 28th June, 2005, by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit: B-4, 6th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi.

[F. No. 437/3/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. 55/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 812(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई को नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के रुप में उक्त सारणी के कॉलम (2) एवं (3) में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ नियुक्त करता है, अर्थातः-

सारणी

क्र.सं.	कारण बताओं नोटिस सं. तथा दिनांक	पार्टी का नाम	पदनामित अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	फा.सं.डी जी सी ई आई/एम जेड यू/आई एंड आई एस सी/30-57/04 दिनांक 28.10.04	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड एवं अन्य	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर सीमा शुल्क गृह, न्हावा शेवा
2.	फा.सं.डी जी सी ई आई/एम जेड यू/आई एंड आई एस सी/30-57/04/ दिनांक 25.11.04	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड एवं अन्य	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर सीमा शुल्क गृह, न्हावा शेवा
3.	फा.सं.डी जी सी ई आई/एम जेड यू/आई एंड आई एस सी/30-57/04/ दिनांक 08.04.2005	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड एवं अन्य	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) एयर कार्गो काम्पलेक्स सी एस आई विमानपत्तन सहर
4.	फा.सं.डी जी सी ई आई/पी आर यू/आई एन टी /44/04/ दिनांक 12.01.06	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड एवं अन्य	संयुक्त /अपर सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) , जवाहर सीमा शुल्क गृह, न्हावा शेवा

[फा. सं. 437/9/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2006

No. 55/2006–CUSTOMS (N.T.)

S.O. 812(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Imports), New Customs House, Mumbai to act as officers specified in column (4) of the Table below in the matters specified in the corresponding entries in columns (2) and (3) of the said Table, for the purpose of adjudication namely :-

TABLE

Sl. No.	Show Cause Notice Number and date	Name of the party	Designation of Officer
(1)	(2)	(3)	(4)
1	F.No.DGCEI/ MZU/I&IS'C'/ 30-57/04 dated 28.10.04	M/s Mahindra and Mahindra Limited and Others	Commissioner of Customs (Imports), Jawahar Customs House, Nhava Sheva
2	F.No.DGCEI/ MZU/I&IS'C'/ 30-57/04 dated 25.11.04	M/s Mahindra and Mahindra Limited and Others	Commissioner of Customs (Imports), Jawahar Customs House, Nhava Sheva
3	F.No.DGCEI/ MZU/I&IS'C'/ 30-57/04 dated 08.04.05	M/s Mahindra and Mahindra Limited and Others	Commissioner of Customs (Imports), Air Cargo Complex, CSI Airport, Sahar
4	F.No.DGCEI/ PRU/INT/ 44/04 dated 12.01.06	M/s Mahindra and Mahindra Limited and Others	Joint/Additional Commissioner of Customs (Imports), Jawahar Customs House, Nhava Sheva

[F. No. 437/9/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

आंधसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. 56/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 813(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोड एतद्द्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, प्रथम तल, कन्स्ट्रक्शन हाउस, बालचन्द्र हीराचन्द मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई-400038 द्वारा डी आर आई/बी जेड यू/एफ /01/2005, दिनांक 27 सितम्बर, 2005 के तहत मैसर्स एफ डी सी लि., 142-148, एस.वी.रोड,जोगेश्वरी (पश्चिम) , मुंबई और अन्य को जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के संबंध में न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, थाणे- II , नव प्रभात चैम्बसे, रानाडे रोड, दायर, मुंबई को

(i) आयुक्त, सीमा शुल्क(निर्यात) ,एयरकार्गो काम्प्लेक्स, सहार मुंबई ;

(ii) आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क एवं सेवाकर, रायगढ़, खान्डेश्वर, नवी मुंबई; और

(iii) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, बेलापुर, नवी मुंबई के पद पर नियुक्त करते हैं और उस पद के लिए प्रदान की गई अथवा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने और ड्यूटियों के निष्पादन के लिए उन्हें प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. 437/19/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

16/11/06-2

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2006

No. 56/2006–CUSTOMS (N.T.)

S.O. 813(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub- rule (1) of rule 3 of Central Excise Rule, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Central Excise, Thane-II, Nav Prabhat Chambers, Ranade Road, Dadar, Mumbai, and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on the -

(i) Commissioner of Customs(Export), Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai;

(ii) Commissioner of Central Excise and Customs and Service Tax, Raigad, Khandeshwar, Navi Mumbai; and

(iii) Commissioner of Central Excise and Customs, Belapur, Navi Mumbai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. FDC Limited, 142 148, S.V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai and others, issued, vide, F.No.DRI/BZU/F/01/2005 dated the 27th September, 2005 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, 1st Floor, Construction House, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai- 400038.

[F. No. 437/19/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. 57/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 814(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई जोनल यूनिट,कोलाबा, मुंबई द्वारा फा.सं.डी आर आई/एम जेडयू/बी/इन्क्वा-06/2005-06, दिनांक 20 जनवरी, 2006 के तहत मैसर्स टैक्नीकल एसोसिएट्स लि. लखनऊ को जारी फा.सं.डी आर आई/एमजेडयू/बी/इन्क्वा-06/2005-06, दिनांक 28 फरवरी, 2006 के तहत यथा संशोधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य), न्यू कस्टम हाऊस, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई को आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात) जवाहर लाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, न्हावा शेवा के रुप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/21/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2006

No. 57/2006–CUSTOMS (N.T.)

S.O. 814(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (General), New Customs House, Ballard Estate, Mumbai to act as Commissioner of Customs (Imports), Jawaharlal Nehru Port Trust, Nhava Sheva for the purposes of adjudicating the matters relating to the show cause notice issued by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Colaba, Mumbai. to M/s Technical Associates Limited, Lucknow vide F.No.:DRI/MZU/B/Enq-06/2005-06, dated the 20th January, 2006, as amended by corrigendum vide F.No.:DRI/MZU/B/Enq-06/2005-06, dated the 28th February, 2006.

[F. No. 437/21/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. 58/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 815(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, लखनऊ जोनल यूनिट, द्वारा फा.सं.डी आर आई/एल जेडयू/सीज/41/2005, दिनांक 22 फरवरी, 2006 के तहत मैसर्स पायनियर एक्सपोर्टस और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्याय-निर्णयन के प्रयोजनार्थ आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर,कानपुर को आयुक्त, सीमा शुल्क (पतन आयात) , कस्टम हाउस, चेन्नई के रुप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/22/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2006

No. 58/2006–CUSTOMS (N.T.)

S.O. 815(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs, Central Excise and Service Tax, Kanpur to

act as Commissioner of Customs (Port Imports), Customs House, Chennai for the purposes of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Pioneer Exports and Others, issued, vide, F.No.:DRI/LZU/SEIZ/41/2005, dated the 22nd February, 2006 by Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Lucknow Zonal Unit.

[F. No. 437/22/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2006

सं. 59/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 816(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, बी-4, छठा तल, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली द्वारा डी आर आई फा.सं.855 (14) एएस आर/2000/पीटी/489-504, दिनांक 27 जून, 2005 के तहत मैसर्स गर्ग कॉनकास्ट लि. 7/3, रुप नगर, नई दिल्ली और अन्य के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त, इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली को सीमा शुल्क आयुक्त कस्टम हाउस, चेन्नई के पद पर नियुक्त करता है और उन्हें पुष्ट की गई अथवा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उसकी कार्य भार के निष्पादन के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. 437/24/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2006

No. 59/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 816(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi and authorizes him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on the Commissioner of Customs, Custom House, Chennai for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Garg Concast Ltd, 7/3, Roop Nagar, New Delhi and Others, issued vide DRI F.No. 855(14) ASR/2000/Pt/489-504, dated the 27th June, 2005, by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit: B-4, 6th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi.

[F. No. 437/24/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.